[2018] 3 एससीआर 532

मैसर्स स्टैंडर्ड एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्रीज एवं एक अन्य।

बनाम

वन रेंज अधिकारी, कासरगोड एवं अन्य।

(2008 की सिविल अपील संख्या 1747) बी अप्रैल 19, 2018

[आर. के. अग्रवाल व संजय कृष्ण कुल, माननीय न्यायमूर्तिगण]

केरल वन अधिनियम, 1961: धारा 61 ए और 69 - कुछ मामलों में वन अधिकारियों द्वारा जब्ती - तथ्यों के अनुसार, प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा 125 किलोग्राम चंदन के तेल को जब्त करने का आदेश - एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया, हालांकि, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने धारा 61 ए के अंतर्गत जब्ती के आदेश को बरकरार रखा- शुद्धता- निर्धारित:- प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि जब्ती का आदेश धारा 69 के अंतर्गत पारित किया गया था, न कि धारा 61ए के अंतर्गत - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एकल न्यायाधीश ने धारा 61 ए के अंतर्गत चंदन के तेल को जब्त करने के विचार को निरस्त कर दिया और कहा कि हालांकि जब्ती का आदेश धारा 61 ए के अंतर्गत पारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन धारा 69 के आधार पर, जब तक इसके विपरीत कोई तथ्य साबित नहीं होता है, तब तक यह माना जा सकता है कि जब्त की गई संपत्ति सरकार की है और यह सरकार को इसे रखने में सक्षम बनाता है - इस प्रकार, खण्डपीठ ने इस मुद्दे को तैयार करने और धारा 61 ए के अंतर्गत जब्ती को बरकरार रखने में गलत मार्ग चुन लिया और इसलिए, आदेश वैधानिक रूप से दूषित है - इसके अतिरिक्त, धारा 69 केवल संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने में सरकार की मदद करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करती है, लेकिन उक्त धारा संपत्ति को जब्त करने की कोई शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है - चंदन के तेल को जब्त करने की शक्ति केरल वन (संशोधन) अधिनियम, 2010 के बाद ही धारा 61 ए के माध्यम से अधिकारियों को निहित हो गयी जब अध्याय VI ए और धारा 47 एच के माध्यम से चंदन से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए थे - तत्काल मामला 2010 में संशोधन के समय से पहले की स्थिति से संबंधित था, संशोधित प्रावधान जी-7 लागू नहीं होते हैं इस प्रकार, चंदन के तेल को जब्त करने के आदेश को निरस्त किया जाता है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया: 1.1 प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपने आप में यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जब्ती का आदेश केरल वन अधिनियम, 1961 की धारा 69 के अंतर्गत पारित किया गया है, न कि धारा 61 ए के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत चंदन के तेल को जब्त करने के विचार को निरस्त कर

दिया और कहा कि हालांकि जब्ती का आदेश अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत पारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 69 के आधार पर, जब तक इसके विपरीत कोई तथ्य सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक यह माना जा सकता है कि जब्त की गई संपत्ति सरकार की है और यह सरकार को इसे रखने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, खण्डपीठ ने इस मुद्दे को तैयार करने और धारा 61 ए के अंतर्गत जब्ती को बरकरार रखने में गलत मार्ग प्रशस्त किया और इसलिए, उस आधार पर, आदेश वैधानिक रूप से दूषित है। [पैरा 13]

1.2 अधिनियम की धारा 61 ए को जंगलों से सरकार से संबंधित लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी और हाथी दांत के अवैध निष्कासन को रोकने के लिए जोड़ा गया था। उक्त प्रावधान कतिपय मामलों में सरकार द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारियों को जब्ती की शक्ति प्रदान करता है। इस धारा का सार इस तथ्य में निहित है कि जब यह माना जाता है कि लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी और हाथीदांत जो कि सरकार की संपत्ति है, के संबंध में वन अपराध संतोषजनक रूप से किया गया है तो अधिकृत अधिकारी इस संबंध में किसी भी आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के बावजूद संपत्ति को जब्त कर सकता है। [पैरा 15]

1.3 अधिनियम की धारा 2(एफ) द्वारा दी गई वन उपज की परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी के अतिरिक्त इसमें लकड़ी का तेल, गोंद, राल, प्राकृतिक वार्निश छाल, चंदन की जड़ें आदि शामिल हैं। हालांकि, धारा 61 ए के अंतर्गत "किसी भी वन उपज या हाथीदांत" के बजाय "लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी और हाथीदांत" विशिष्ट शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि धारा 61 ए के अंतर्गत शक्ति प्रदान करने में विधायिका का इरादा केवल उसमें निर्दिष्ट कुछ श्रेणी के संबंध में है, न कि अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत परिभाषित प्रत्येक वन उपज के लिए। चंदन का तेल एक वन उपज है लेकिन अधिनियम की धारा 61 ए केवल उसमें निर्दिष्ट श्रेणियों तक ही सीमित है और चंदन के तेल को जब्त करने की शक्ति नहीं देती है। [पैरा 16]

1.4 अधिनियम की धारा 69 केवल साक्ष्य का एक नियम है जो एक अनिवार्य धारणा को जन्म देती है कि वन उपज, जब तक कि अन्यथा साबित न हो, उस मामले में सरकार की संपत्ति है जहां अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही चल रही है या अधिनियम के अंतर्गत कुछ भी किया गया है। यह धारा संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने में सरकार की मदद करने के लिए केवल एक उपकरण के रूप में काम करती है, लेकिन उक्त धारा को संपत्ति को जब्त करने की कोई शक्ति देने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। चंदन के तेल को जब्त करने की शक्ति केरल वन (संशोधन) अधिनियम, 2010 के बाद ही धारा 61 ए के माध्यम से अधिकारियों में निहित हो जाती है जब अध्याय 6 ए और धारा 47 एच के माध्यम से चंदन से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए थे। तत्काल मामला 2010 में संशोधन के समय से पहले की स्थिति से संबंधित होने के कारण, संशोधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए, चंदन के तेल की जब्ती के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने जब्ती के आदेश को बरकरार रखने में गलती की। जब्ती के आदेश को निरस्त किया जाता है। [पैरा 17, 18, 19]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1747 वर्ष 2008

रिट ए संख्या 1458 वर्ष 2004 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 01-03-2005 के निर्णय और आदेश से

अपीलकर्ताओं के लिए संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाल किशोर, ए. रघुनाथ, सुश्री एम. जी. योगमाया, अधिवक्तागण।

उत्तरदाताओं के लिए पल्लव सीसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. प्रकाश, जीशनु एम. एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीन प्रकाश, विजय शंकर वी. एल. अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल द्वारा सुनाया गया

1. वर्तमान अपील डब्ल्यूए संख्या 1458 वर्ष 2004 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.03.2005 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ योजित की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद की गई अपील को निरस्त कर दिया था- चंदन के तेल को जब्त करने के आदेश की पुष्टि करते हुए, जिसे 1998 के ओपी संख्या 15114 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19-05-2004 के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया था।

2. **संक्षिप्त तथ्य: -**

(क) अपीलकर्ता-फर्म चंदन के तेल की खरीद और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है। एन. ए. अब्दुलरहिमान (अपीलकर्ता संख्या 2) और एन. ए. अब्दुल्ला हाजी फर्म में भागीदार हैं और चंदन के तेल के निष्कर्षण के लिए विद्यानगर, कासरगोड में एक कारखाना भी चला रहे हैं। दिनांक 16-04-1993 को रात लगभग 10:30 बजे कासरगोड पुलिस ने परिसर सीपी 31/786 को "रहमिथ मंजिल" कहा गया में तलाशी ली और पांच बैरल में रखे 125 किलोग्राम चंदन के तेल को जब्त कर इसे स्थानीय पुलिस स्टेशन में ले जाया गया।

(ख) उपर्युक्त भवन अपीलकर्ता फर्म के प्रबंध भागीदार और उसके परिवार के सदस्यों का निवास स्थान भी है। कारखाने से आवासीय परिसर में तेल निकालने में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के उल्लंघन की आशंका के चलते तेल की जब्ती की सूचना केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कासरगोड अधीक्षक को दी गई थी।

(ग) परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता-फर्म के भागीदारों को केरल वन अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें उपर्युक्त आवासीय भवन से जब्त 125 किलोग्राम चंदन के तेल को जब्त करने का प्रस्ताव था।

(घ) अपीलकर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया और तर्क दिया कि उपरोक्त मात्रा फर्म का लेखा-जोखा स्टॉक अर्थात 75 किलोग्राम है जिसका निर्माण स्वयं की कारखाने में की गयी थी। जबकि 15.04.1993 को मैसर्स पंजाब एरोमैटिक, ए.जी. रोड, कालीकट-2 से 50 किलोग्राम चंदन तेल खरीद की गयी थी और इस दावे के समर्थन में उक्त खरीद का चालान भी प्रस्तुत किया गया था।

(ङ) यहां अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि 125 किलोग्राम चंदन के तेल की इस मात्रा को कारखाने में किए गए रखरखाव कार्य के कारण प्रबंध भागीदार के निवास पर हटा दिया गया था जो आसन्न परिसर में है। कारण बताओ नोटिस के जवाब में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद, प्रभागीय वन अधिकारी ने दिनांक 03.07.1998 के आदेश के अंतर्गत 125 किलोग्राम चंदन के तेल को जब्त करने का आदेश दिया।

(च) अपीलकर्ताओं ने दिनांक 03-07-1998 के आदेश से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 1998 के ओपी सं 15114 के साथ एक रिट याचिका योजित की जिसे दिनांक 19.05.2004 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

(छ) अपीलकर्ताओं ने दिनांक 19-05-2004 के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में वर्ष 2004 की संख्या 1458 के रूप में अपील करना पसंद किया। खण्डपीठ ने दिनांक 01-03-2005 के आदेश द्वारा जब्ती के आदेश को बरकरार रखा और अपील को निरस्त कर दिया।

(ज) परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील योजित की है।

3. श्री संजय आर. हेगड़े और श्री पल्लव सिसोदिया, दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना और हमारे समक्ष रखी गई प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन किया।

विचारार्थ बिन्दु: -

4. विचारणीय मुद्दा यह उठता है कि क्या उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 61-ए के अंतर्गत जब्ती के आदेश को बरकरार रखने में गलती की और क्या अधिनियम की धारा 61 ए या 69 के अंतर्गत चंदन के तेल को जब्त करने का आदेश दिया जा सकता है?

प्रतिद्वंद्वी विवाद: -

5. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में उठने वाले प्रश्न को तैयार करने में गलत मार्ग चुन लिया है कि अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत पारित चंदन के तेल को जब्त करने का आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि पूरा निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि जब्ती अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत की गई है, जो स्पष्ट रूप से और तथ्यात्मक रूप से गलत है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत जब्ती की गई है जब अधिकृत अधिकारी को पता चलता है कि अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत जब्ती झूठ नहीं होगी और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत जब्ती के आदेश को बरकरार रखने में गलती की क्योंकि उक्त धारा जब्ती को अधिकृत करती है जहां माना जाता है कि लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी

या हाथी दांत के संबंध में वन अपराध किया गया है, जो सरकार की संपत्ति है। अधिकृत प्राधिकारी ने वैधानिक स्थिति को स्वीकार किया कि चंदन का तेल अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत शामिल वस्तु नहीं है।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इस तथ्य की सराहना नहीं करके एक गंभीर त्रुटि की कि अधिनियम की धारा 69 केवल साक्ष्य का एक नियम है जो अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की सुविधा प्रदान करता है और उक्त धारा कहीं भी जब्त करने की शक्ति नहीं देती है। अन्यथा भी, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत धारणा का खंडन करने और यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि चंदन का तेल केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित नहीं था और यह अपीलकर्ताओं की संपत्ति है।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश विधि के प्रतिकूल होने के कारण, रद्द किया जाना चाहिए।

प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत जब्ती के आदेश को सही ठहराया है जो अधिकृत अधिकारी को उस संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जिसके संबंध में वन अपराध किया गया माना जाता है।

10 उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत भी जब्ती का आदेश देने की अपनी शक्तियों के भीतर था क्योंकि अधिनियम की धारा 69 उसे यह मानने में सक्षम बनाती है कि संपत्ति सरकार की है और अपीलकर्ताओं ने चंदन के तेल की जब्त मात्रा पर अपने दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया है और ऐसे किसी भी साक्ष्य के अभाव में, जब्ती का आदेश कानून के मापदंडों के भीतर था और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

11. प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंत में प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का आदेश और निर्णय विधि के अनुरूप है और इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं मांगा गया है।

विचार-विमर्श:-

12. विचार के लिए उठने वाला पहला मुद्दा यह है कि क्या गलत मुद्दा तैयार करने और अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत जब्ती के आदेश को बरकरार रखने के लिए उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश कानून में खराब है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत जब्ती के आदेश की वैधता के विषय में प्रश्न तैयार करने में गलत मार्ग चुन लिया है, जबकि नीचे दिए गए दोनों अधिकारियों ने उस धारा के अंतर्गत जब्ती के आदेश के विचार को निरस्त कर दिया और केवल अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित किया।

13. उक्त मुद्दे के समाधान के लिए प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.07.1998 के आदेश के प्रचालन पैरा को पुन: प्रस्तुत करना उचित है जो निम्नानुसार है:-

> "सीए 423/93 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, चंदन का तेल भी वन अधिनियम की धारा 2 (एफ) (1) के अनुसार लकड़ी के तेल के दायरे में आएगा। इसलिए चंदन का तेल वन अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है। आरोपी उपरोक्त मामले में जब्त किए गए 125 किलोग्राम चंदन के तेल के स्वामित्व को साबित करने में विफल रहे हैं। इसलिए, मैं, अधिकृत अधिकारी केके चंद्रन मानता हूँ कि इसे अवैध रूप से अधिग्रहित किया गया है और इसलिए वन अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत जब्त करने का आदेश दिया जाता है।"

उपरोक्त आदेश अपने आप में यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जब्ती का आदेश अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत पारित किया गया है, न कि धारा 61 ए के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 19-05-2004 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत चंदन के तेल को जब्त करने के विचार को ही निरस्त कर दिया और कहा कि यद्यपि जब्ती का आदेश अधिनियम की धारा 61 ए के अंतर्गत पारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 69 के आधार पर, जब तक इसके विपरीत कोई तथ्य सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक यह माना जा सकता है कि जब्त की गई संपत्ति सरकार की है और यह सरकार को इसे रखने में सक्षम बनाती है। निचले प्राधिकरणों के फैसले को देखने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खण्डपीठ ने इस मुद्दे को तैयार करने और धारा 61 ए के अंतर्गत जब्ती को बरकरार रखने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है और इसलिए, इस आधार पर, आदेश विधि की दृष्टि में दूषित है।

14. अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हुए, क्या वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों के प्रकाश में, अधिनियम की धारा 61 ए या धारा 69 के अंतर्गत चंदन के तेल को जब्त करने का आदेश पारित किया जा सकता है। उक्त प्रश्न का मूल्यांकन करने के लिए, धारा 61 ए और धारा 69 की रूपरेखा पर चर्चा करना उचित है। धारा 61ए निम्नानुसार है:

> **"61 ए कतिपय मामलों में वन अधिकारियों द्वारा जब्ती -** इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी या हाथीदांत जो कि सरकार की संपत्ति है, के संबंध में वन अपराध किया गया माना जाता है, धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति को जब्त करने वाला अधिकारी बिना किसी अनुचित विलंब के, इस तरह के अपराध को करने में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों, रस्सियों, जंजीरों, नौकाओं, वाहनों और मवेशियों के साथ, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, जो सहायक वन संरक्षक (इसके बाद अधिकृत अधिकारी के रूप में संदर्भित) के पद से नीचे नहीं है।

(2) जहां कोई प्राधिकृत अधिकारी धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन कोई लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी या हाथीदांत जो सरकार की संपत्ति है, या जहां ऐसी कोई संपत्ति इस धारा की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और वह संतुष्ट है कि ऐसी संपत्ति के संबंध में वन अपराध किया गया है, ऐसा प्राधिकृत अधिकारी, चाहे ऐसे वन अपराध के लिए अभियोजन चलाया गया हो या नहीं, इस प्रकार जब्त की गई संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है, जिसमें ऐसे अपराध को करने में प्रयुक्त सभी उपकरण, रस्सियां, जंजीरें, नौकाएं, वाहन और मवेशी शामिल हैं।

69. यह अवधारणा कि लकड़ी या वन उत्पाद सरकार की है- जब इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही में, या इस अधिनियम के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही के परिणामस्वरूप, यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई वन उत्पाद केंद्र या राज्य सरकार की संपत्ति है, तो ऐसी उपज को केंद्र या राज्य सरकार की संपत्ति माना जाएगा, जैसा भी मामला हो, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए।"

15. अधिनियम की धारा 61 ए को जंगलों से सरकार से संबंधित लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी और हाथी दांत के अवैध निष्कासन को रोकने के लिए जोड़ा गया था। उक्त प्रावधान कतिपय मामलों में सरकार द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारियों को जब्ती की शक्ति प्रदान करता है। इस धारा का सार इस तथ्य में निहित है कि जब यह माना जाता है कि लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी और हाथीदांत जो कि सरकार की संपत्ति है, के संबंध में वन अपराध संतोषजनक रूप से किया गया है तो अधिकृत अधिकारी इस संबंध में किसी भी आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के बावजूद संपत्ति को जब्त कर सकता है। प्रश्न यह है कि क्या उक्त धारा चंदन के तेल को जब्त करने की शक्ति भी प्रदान करती है।

16. अधिनियम की धारा 2(एफ) द्वारा दी गई वन उपज की परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी के अतिरिक्त इसमें लकड़ी का तेल, गोंद, राल, प्राकृतिक वार्निश छाल, चंदन की जड़ें आदि शामिल हैं। हालांकि, धारा 61 ए के अंतर्गत "किसी भी वन उपज या हाथीदांत" के बजाय "लकड़ी, लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी और हाथीदांत" विशिष्ट शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि धारा 61 ए के अंतर्गत शक्ति प्रदान करने में विधायिका का इरादा केवल उसमें निर्दिष्ट कुछ श्रेणी के संबंध में है, न कि अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत परिभाषित प्रत्येक वन उपज के लिए। चंदन का तेल एक वन उपज है लेकिन अधिनियम की धारा 61 ए केवल उसमें निर्दिष्ट श्रेणियों तक ही सीमित है और चंदन के तेल को जब्त करने की शक्ति नहीं देती है।

17. इसके अतिरिक्त, हम अपीलकर्ताओं के तर्क में बल पाते हैं कि अधिनियम की धारा 69 केवल साक्ष्य का एक नियम है जो एक अनिवार्य धारणा को जन्म देती है कि वन उपज, जब तक कि अन्यथा साबित न हो, सरकार की संपत्ति है, उस मामले में जहां अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही चल रही है या अधिनियम के अंतर्गत कुछ भी किया गया है। यह धारा संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने में सरकार की मदद करने के लिए केवल एक उपकरण के

रूप में काम करती है, लेकिन उक्त धारा को संपत्ति को जब्त करने की कोई शक्ति देने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

18. चंदन के तेल को जब्त करने की शक्ति केरल वन (संशोधन) अधिनियम, 2010 के बाद ही धारा 61 ए के माध्यम से अधिकारियों में निहित हो जाती है, जब चंदन से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रावधान अध्याय VI ए और धारा 47 एच के माध्यम से सम्मिलित किए गए थे जो विशेष रूप से निम्नानुसार हैं:

> **"47ज. चंदन, चंदन के तेल आदि को जब्त करना और उस पर अधिहरण करना।–** किसी कानून में इस समय लागू या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां माना जाता है कि किसी चंदन, चंदन का तेल, मिल, डिस्टिलिंग यूनिट, बॉयलर-प्लांट, उपकरण के संबंध में अपराध किया गया है। धारा 52 के अंतर्गत चंदन के तेल के निर्माण या आसवन में या चंदन या चंदन के तेल की बिक्री की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी, चेन, नौका, वाहन या कोई अन्य उपकरण जब्त किया जा सकता है और धारा 61 ए, 61 बी, 61 सी, 61 डी, 61 ई और 61 एफ में निहित प्रावधान उसकी जब्ती और अधिहरण पर लागू होंगे।
>
> **(हमारे द्वारा इस पर बल दिया गया)**

वर्तमान मामला 2010 में संशोधन के समय से पहले की स्थिति से संबंधित होने के कारण, संशोधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए, चंदन के तेल की जब्ती के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

19. उपर्युक्त विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने जब्ती के आदेश को बरकरार रखने में गलती की। तदनुसार, इस अपील को स्वीकार किया जाता है और जब्ती के आदेश को रद्द किया जाता है। पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करना होगा।

अपील स्वीकृत।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय